न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
14 / 2024	18.01.2024	26.02.2024

उनवान

1. उदय लाल पुत्र श्री लाला उर्फ लालू जाट आयु वयस्क निवासी गण्डदिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
2. कमला पुत्री श्री लाला उर्फ लालू जाट आयु वयस्क निवासी मण्डपिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राजा)
3. देऊ पुत्री श्री लाला उर्फ लालू जाट आयु वयस्क निवासी मण्डपिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राजा)
4. नारायण पुत्र श्री लाला उर्फ लालू जाट आयु वयस्क निवासी— गण्डपिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. सोहनी पत्नी श्री लाला उर्फ लालू जाट आयु वयस्क निवासी— मण्डपिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राजा)

प्रार्थीगण

बनाम

1. उदय लाल पुत्र श्री बदी जाट आयु वयस्क निवासी— मण्डपिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. लादू लाल पुत्र श्री बिलासीराम सैन आयु वयस्क निवासी— कोठारी मोहल्ला, पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. शंकर पुत्र श्री नन्दा जाट आयु वयस्क निवासी— बीड का खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. कजोड़ पुत्र श्री जोधा जाट आयु वयस्क निवासी— मण्डपिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. उगमा पुत्र श्री जोघा जाट आयु वयस्क निवासी— मण्डपिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. रामेश्वर पुत्र श्री हीरा जाट आयु वयस्क निवासी— बीड का खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. मन्जू पत्नी स्व० श्री बालू लाल जाट आयु वयस्क निवासी— बीड का खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. मथरा पुत्र श्री नन्दा जाट जाट आयु वयस्क निवासी— बीड का खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

9. बालू पुत्र श्री भैरू जाट आयु वयस्क निवासी– मण्डपिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) . प्यारा

10. पुत्र श्री भैरू जाट आयु वयस्क निवासी– मण्डपिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी उदय सिंह चारण
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मण्डपिया प0ह0 मण्डपिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 29 की अभिलिखित आराजियात 764 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1644 हैक्टेयर व खाता संख्या 23 में आराजी संख्या 803, 809 कुल 02 कुल रकबा 0.3541 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस बाद तामिल अदम तामिल प्राप्त नहीं हुई।

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि के सीमाचिन्ह नहीं होने से पत्थरगढ़ी करवाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

Ahad
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा मण्डपिया प0ह0 मण्डपिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 23 की अभिलिखित आराजियात 764 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1644 हैक्टेयर व खाता संख्या 23 में आराजी संख्या 803, 809 कुल 02 कुल रकबा 0.3541 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा